ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केश सं0– 119/16–17

वीणा देवी बनाम् टीपलाल साह

–: आदेश :–

वर्त्तमान वाद उपायुक्त, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है, जो आवेदिका वीणा देवी, पति–हरिशचंद्र साह, सा0–लहठी, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा एवं विपक्षी टीपलाल उर्फ टुकलाल साह, पे0–स्व0 करमनी साह, सा0–घाटभागाबांध, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा के बीच मौजा–लहठी नं0–778, जमाबंदी नं0–20, दाग नं0–349 के रकवा– 00–08–13 धूर भूमि से उच्छेद वाद से संबंधित है।

उक्त वाद में न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा दिनांक–17.12.2018 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें वादगत भूमि मौजा–लहठी नं0–778, जमाबंदी नं0–20, दाग नं0–349 के रकवा– 00–08–13 धूर से विपक्षी को उच्छेद किया गया है। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध विपक्षी द्वारा पुनः उपायुक्त के न्यायालय, गोड्डा में आर0एम0ए0 नं0–01/2019–20 टीपलाल साह उर्फ टुकलाल साह बनाम वीणा देवी एवं अन्य वाद दायर किया गया है, जिसमें उपायुक्त, गोड्डा के द्वारा अधोहस्ताक्षारी न्यायालय में पूर्व पारित ओदश को बरकार रखते हुए आवेदक के आवेदन को खारिज किया गया है।

अतः उक्त आदेश का अनुपालन हेतु आदेश की प्रतिअंचल अधिकारी, महागामा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

28.10.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

28.10.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.02.03 11:40:56 +05:30
Location: 192.168.8.107